फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 229/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/199) **श्रीमती सीमा ब्राहम्ण बनाम राधेश्याम के बजाय श्री तरूण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री तारेश्वर मोड़ - वकील अपीलार्थी 2. श्री नरेश जणवा - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री राजमल राव - वकील प्रत्यर्थी-2 से 5 4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-8 **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 15/2020 निर्णय दिनांक 03.03.2021 (अनवान श्रीमती रामकन्या बनाम श्री तरूण ब्राहम्ण)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 17.01.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 15/2020 निर्णय दिनांक 03.03.2021 (अनवान श्रीमती रामकन्या बनाम श्री तरूण ब्राहम्ण) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • मौजा बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की हल्के बेरूनी के आराजी संख्या 142, 143, 168, 281, 282 कुल किता 5 कुल रकबा 1.69 हैक्टेयर श्रीमती धापुबाई पति तेजपाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी। श्रीमती धापु बाई के फौत होने उपरान्त ग्राम पंचायत बामणिया द्वारा उसके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 15.07.2015 पारित किया। उक्त नामान्तकरण में ग्राम पंचायत द्वारा धापुबाई के पुत्र श्री राधेश्याम के दत्तक चले जाने उपरान्त में नाम दर्ज किये जाने से व्यथीत होकर श्रीमती रामकन्या एवं श्री ललित द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कपासन समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके नम्बर 03/2020 हुए। उक्त अपील में निर्णय दिनांक 29.10.2020 से उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण पुनः तहसीलदार कपासन को इस आशय से रिमाण्ड किया कि नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक धापुबाई के वारिसान की जांच कर सभी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें। • उपखण्ड अधिकारी, कपासन के निर्णय दिनांक 09.10.2020 की अनुपालना में तहसीलदार, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 15/2020 दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की और राधेश्याम को दत्तक चला जाना मानते हुए धापुबाई के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण पारित किये जाने का निर्णय दिनांक 03.03.2021 पारित किया। • लेख है कि तहसीलदार, कपासन द्वारा उक्त निर्णय उपरान्त यह पाया गया कि श्री राधेश्याम के वारिसान तरूण व अन्य द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2020 से ग्राम भट्टो का बामनिया के खाता संख्या 193 किता 5 क्षेत्रफल 1.69 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 श्रीमती सीमा को बेचान कर दिया जिससे तहसीलदार, कपासन द्वारा आदेश पारित करते हुए निर्णय दिनांक 30.03.2021 से उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 1079 को निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 03.03.2021 के पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश प्रसारित किया।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 229/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/199) **श्रीमती सीमा ब्राहम्ण बनाम राधेश्याम के बजाय श्री तरूण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के दिनांक 16.04.2021 को प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 11.01.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी, प्रत्यर्थी-1 से 5 एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना के अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलांट ने विवादित आराजीयात को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख वैध प्रतिफल राशि रेस्पोडेंट्स को अदा कर दिनांक 20.10.2020 को मुताबिक पंजीकृत विक्रय विलेख आराजीयात पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया, परंतु रेस्पोडेंट्स/विक्रेतागण तरूण वगैरा ने अन्य रेस्पोडेंट्स रामकन्या ललित से दुर्भीसंधी कर अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय पारित करा लिया ओर इस बाबत कोई जांच भी नही की। रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 ने प्रथम बार अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के यहां एक अपील विवादित आराजीयात के नामांतरकरण के संबंध में प्रस्तुत की। उपरोक्त अपील में खातेदार तरूण, पुनम, रेखा, हंसा, राधीका, आवश्यक पक्षकार थे और विवादित आराजीयात के खातेदार थे, परंतु अपीलांट्स ने उपरोक्त रेस्पोडेंट्स को पक्षकार नही बनाया। केवलमात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाया फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकरों को सुन बगैर ही विवादित नामांतरकरण संख्या 736 दिनांक 15.07.2015 को निरस्त कर प्रकरण तहसलीदार को रिमाण्ड किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात के संबंध में सद्भाविक क्रेता/अपीलांट के विवादित आराजीयात से संबंधित होने एवं उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित होने बाबत कोई जांच नहीं की। अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत प्ररकण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश ही नही किया इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। संपूर्ण मामला रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 व रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 के आपराधिक षडयंत्र एवं दुर्भीसंधी से ग्रसित होकर अधीनस्थ न्यायालय के यहां दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय से प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के पश्चात रेस्पोडेंट्स द्वारा राधेश्याम को गोद लिये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार इन रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के साथ आपराधिक न्यास भंग व धोखाधडी भी की है जिसके संबंध में भी अपीलांट ने थाना कपासन में जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स के केवल मात्र यह कह देने से की राधेश्याम दारू गांव में अन्यत्र गोद चला गया है को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ही स्वीकार मानकर आक्षेपित नामांतरकरण खारिज कर दिया। नामांतरकरण प्रक्रिया फिसकल प्रोसेडिंग है और बिना किसी सत्यापित राजकीय दस्तावेजों के अभाव में नामांतरकरण खारिज नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामांतरकरण के संबंध में पक्षकारों का कोई परिक्षण अपने समक्ष नही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सद्भाविक क्रेता अपीलांट के खातेदार होने के संबंध में उसे साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नही दिया तथा रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को आधार मानकर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.03.2021 में किस आधार पर यह नामांतरकरण खारिज किया ऐसा कोई अंकन अपने आदेश में अंकित नही किया है। केवल मात्र प्रथम अपीलीय न्यायालय के प्रतिप्रेषण के अपास्तकीय आदेश को पुष्ट कर दिया। इस प्रकार इन सातो ही रेस्पोडेंट्स ने परस्पर तथ्यों के संबंध में दुर्भीसंधी कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामांतरकरण आदेश अपने पक्ष में कराया है यह उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है तथा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया। **प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 229/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/199) **श्रीमती सीमा ब्राहम्ण बनाम राधेश्याम के बजाय श्री तरूण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 763 निरस्त नही किया बल्कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 03/2020 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाने से तहसीलदार द्वारा नामांतरण निरस्त किया जो विधि अनुकुल है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी के रिमाण्ड आदेश की पालना में पूर्ण जांच सभी पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट भी अपील में हितबद्व पक्षकार होने से उसे भी नोटिस जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर उसका भी जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर निर्णय पारित किया गया है तथा उसकी आपत्ति खारिज की दी कि अपीलांट को नामांतरण संख्या 763 से संबंधित प्रकरण संख्या 15/2020 के संबंध में को एतराज था तो तत्समय पेश कर सकती थी, जो उसके द्वारा नियत समय में पेश नही की गई। अपीलांट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। अपीलांट द्वारा जानबुझकर मिथ्या आधारों पर अपील अंदर अवधि पेश नही की है, जो मयाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा जालसाजी से उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया है जिसे निरस्त कराने का प्रकरण रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट के कोई हित प्रभावित होते है तो उसे सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों का दावा करके अपने अधिकार तय करवा सकता है। उक्त आदेश अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही होकर उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अपीलांट ने अपने धारा 96 के प्रार्थना पत्र में कही पर भी स्पष्टीकरण नही दिया है जिससे उसे प्रभावित पक्षकार मान जावें। अपीलांट द्वारा पूर्ण मिथ्या अधारा पर अपील पेश की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन न्यायिक नजीर 2009 (1) CT (Raj.) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखाया जाने बाबत निवेदन किया गया। **प्रत्यर्थी-2 से 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने** अपनी लिखित बहस पेश कर रेस्पोडेंट संख्या 1 की लिखित बहस अनुसार अपनी बहस में समान तथ्य बताये जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अंत में अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखाया जाने बाबत निवेदन किया गया। **अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 से 7** ने अपनी लिखित बहस पेश कर रेस्पोडेंट संख्या 1 की लिखित बहस अनुसार अपनी बहस में समान तथ्य बताये जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखाया जाने बाबत निवेदन किया गया। **प्रत्यर्थी-8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया।** सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी को क्रय किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 229/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/199) **श्रीमती सीमा ब्राहम्ण बनाम राधेश्याम के बजाय श्री तरूण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर भी विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकतरफा पारित किया जाना बताया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि- Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। इसके अतिरिक्त इस निर्णय में आगे के पेरा में किये गये विवेचनानुसार त्रुटिपूर्ण निर्णय को कभी चैलेंज किया जा सकता है, उस पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होते और उसे गौण किया जाना उचित है। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मौजा बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की हल्के बेरूनी के आराजी संख्या 142, 143, 168, 281, 282 कुल किता 5 कुल रकबा 1.69 हैक्टेयर श्रीमती धापुबाई पति तेजपाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी। श्रीमती धापु बाई के फौत होने उपरान्त ग्राम पंचायत बामणिया द्वारा उसके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 15.07.2015 पारित किया। उक्त नामान्तकरण में ग्राम पंचायत द्वारा धापुबाई के पुत्र श्री राधेश्याम के दत्तक चले जाने उपरान्त में नाम दर्ज किये जाने से व्यथीत होकर श्रीमती रामकन्या एवं श्री ललित द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कपासन समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके नम्बर 03/2020 हुए। उक्त अपील में निर्णय दिनांक 29.10.2020 से उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रकरण पुनः तहसीलदार कपासन को इस आशय से रिमाण्ड किया कि नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक धापुबाई के वारिसान की जांच कर सभी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण श्रीमती रामकन्या एवं श्री ललित द्वारा दिनांक 09.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी, कपासन समक्ष प्रस्तुत किया और उक्त प्रकरण में सिर्फ भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर को ही विपक्षी पक्षकार संयोजित किया गया जबकि उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें प्रमुख विवाद श्री राधेश्याम के दत्तक चले जाने पर भी उसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का था, परन्तु श्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 229/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/199) **श्रीमती सीमा ब्राहम्ण बनाम राधेश्याम के बजाय श्री तरूण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राधेश्याम या उसके वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष अपीलीय कार्यवाही के दौराने, श्री राधेश्याम के वारिसान, जो की उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थे, द्वारा विवादित भूमि का बेचान अपीलार्थी श्रीमती सीमा को दिनांक 20.10.2020 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से किया और उसका नामान्तरकरण संख्या 1079 दायर दिनांक 02.11.2020 को खोला गया। उपखण्ड अधिकारी, कपासन के निर्णय दिनांक 09.10.2020 की अनुपालना में तहसीलदार, कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 15/2020 दिनांक 25.11.2020 को दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की और राधेश्याम को दत्तक चला जाना मानते हुए धापुबाई के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण पारित किये जाने का निर्णय दिनांक 03.03.2021 पारित किया। यहा हम यह उल्लेख किया जाना उचित समझते है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। यह स्थिति स्पष्ट है कि श्रीमती सीमा द्वारा विवादित आराजी क्रय किये जाने के उपरान्त तहसीलदार द्वारा रिमाण्डा प्रकरण संख्या 15/2020 से पूर्व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1079 स्वीकृत किया जाकर श्रीमती सीमा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जा चुका था और यह नामान्तरकरण तहसीलदार कपासन द्वारा ही स्वीकृत किया गया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि तहसीलदार को यह जानकारी थी कि उक्त प्रकरण में श्रीमती सीमा आवश्यक पक्षकार है फिर भी उसके प्रकरण संख्या 15/2020 निर्णय दिनांक 03.03.2021 में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। यदि यह माना जावें कि तहसीलदार को उक्त बेचान की जानकारी निर्णय दिनांक 03.03.2021 के दौरान नहीं थी तो भी तहसीलदार का कर्तव्य था कि वह वर्तमान राजस्व अभिलेखों के स्थिति देखते हुए उपखण्ड अधिकारी के निर्देश, सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए निर्णय पारित करे, की पालना करने थी, जो नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना स्वीकार्य नहीं है। जहां तक उक्त प्रकरण संख्या 15/2020 के दौराने श्री राधेश्याम के वारिसान द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, उन शपथ पत्रों के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वारिसान द्वारा उक्त बेचान के बारे में कोई कथन नहीं किया और तहसीलदार समक्ष बेचान के तथ्य को छिपाया गया। उक्त शपथ पत्र के साथ श्री राधेश्याम के वारिसान द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। गोद जाने के संबंध में तहसीलदार, कपासन द्वारा अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई। तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.03.2021 में उक्त बेचान की जानकारी होने पर प्रकरण संख्या 06/2021 दर्ज किया गया और श्रीमती सीमा को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण के फर्द अहकाम के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 26.03.2021 को श्रीमती सीमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया था परन्तु प्रकरण वास्ते निर्णय में रखा जाकर दिनांक 30.03.2021 को निर्णय पारित करते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 02.11.2020 को भी निरस्त कर दिया। प्रावधित है कि जब कोई व्यक्ति जिसका आराजी एवं स्वत्व और अधिकार है और यदि वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रेता को प्रतिफल के बदले हस्तान्तरण करता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा भूमि के हस्तांतरण के पश्चात विक्रेता के द्वारा उसको मना किये जाने का कोई प्रभाव नहीं है। पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर क्रेताओं के नाम अभिलेख में लेने हेतु नामान्तरकरण स्वीकृत करने के प्रावधान संबंधित नियमों में उल्लेखित है। उक्त विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण से पूर्व तथा पश्चात चैलेन्ज किया गया हो,	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 229/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/199)
श्रीमती सीमा ब्राहम्ण बनाम राधेश्याम के बजाय श्री तरूण व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.03.2021 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण 1079 को उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरित खारिज कर दिया गया, जो समर्थन योग्न नहीं है।

पुनः यहा यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया एवं सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चयन नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तदनुरूप विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य/शहादत द्वारा किया जाना विधि में प्रस्तावित है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में राजस्व रेकर्ड में तत्समय के अभिलिखित खातेदारों को उन्हे सुने बिना उनका नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, कपासन समक्ष श्रीमती रामकन्या व ललित द्वारा श्री राधेश्याम के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। तहसीलदार, कपासन समक्ष प्रकरण संख्या 15/2020 में रामकन्या वगैरा व राधेश्याम के वारिसान ने बेचान को छिपाते हुए त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत किये। श्री राधेश्याम के वारिसान द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि में भूमि का बेचान श्रीमती सीमा को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना प्रकट होता है। अतः विक्रय पत्र अंतिम होकर उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना प्रावधनित है और ऐसे नामान्तरकरण को विक्रय पत्र निरस्त कराये बिना निरस्त किया जाना समर्थन योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 व 30.03.2021 को निरस्त/अपास्त किया जाता है और नामान्तरकरण संख्या 763 व 1079 को बहाल रखा जाता है। श्री मांगीलाल के वारिसान विवादित आराजीयात, जो अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई, में यदि अपना स्वत्व या हक रखते है तो वे सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्त करावें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</td><td></td></tr>
</table>